कार्यालय मुख्य कार्यपालक अधिकारी
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
बीडा भवन, औराई रोड, भदोही

निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु मुहरबन्द निविदा बीडा में पंजीकृत ठेकेदारों एवं अनुभवी ठेकेदारों / फर्मो से तकनीकी एवं वित्तीय दो भाग में निर्धारित प्रपत्र पर आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय में दिनांक 21.09.2016 को अपरान्ह 4.00 बजे तक अपेक्षित मूल्य जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदाएं दिनांक 22.09.2016 को अपरान्ह 2.00 बजे से 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेगी ।

क0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य + 5 प्रतिशत वैट	कार्य करने की अवधि
1	रजपुरा वाणिज्यिक सह–आवासीय योजना में मार्ट का निर्माण प्रथम तल एवं द्वितीय तल के कार्य	64180357.00	1283650.00	5000.00 + 250.00 वैट	01 वर्ष

शर्ते :–

1. निविदा देने वाले फर्मो / व्यक्तियों को अलग टेक्निकल बिड के रूप अपनी पूरी प्रोफाइल, अनुभव व वित्तीय स्टेटस आदि प्रस्तुत करना होगा। पहले टेक्निकल बिड का लिफाफा खोला जायेगा। जिनका टेक्निकल बिड बैध होगा उन्ही का दूसरा फाइनेन्सियल बिड का लिफाफा खोला जायेगा। जिसमें निविदा प्रपत्र प्रतिशत के आधार पर भरा जायेगा तथा धरोहर धनराशि की राशि / बैंक ड्राफ्ट संलग्न होगा।
2. जमानत धनराशि का भुगतान अन्तिम भुगतान की तिथि से एक वर्ष की अवधि के उपरान्त ही किया जायेगा तथा उक्त एक वर्ष की अवधि में समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।
3. निविदा केवल वे ही व्यक्ति / फर्म ले सकते हैं जिनका सन्दर्भित कार्य की लागत हेतु निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण हो तथा प्रर्याप्त अनुभव होगा।
4. स्टैम्प अधिनियम के अन्तर्गत अनुबन्ध करते समय नियमानुसार स्टाम्प पेपर भदोही से क्रय कर देना होगा। जिसकी सही होने की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी।
5. कार्य में प्रयुक्त होने वाले खनिज / उप खनिज हेतु भुगतान की गयी रायल्टी के साक्ष्य हेतु एम.एम. 11 जिला खनिज कार्यालय भदोही से सत्यापित कराने के उपरान्त कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा उसकी कटौती बिल से करते हुए धनराशि कोषागार में जमा कर दी जायेगी ।
6. धरोहर धनराशि प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है। जिस निविदा की धरोहर धनराशि नही होगी उसको संज्ञान में नही लिया जायेगा ।
7. प्रत्येक कार्य की कम से कम 3 वैध निविदा प्राप्त होने पर ही विचार किया जायेगा ।
8. सफल निविदादाता को कार्य शुरू करने के पूर्व तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता की उपस्थिति मे मौके की फोटोग्राफी कराकर कार्यालय में जमा करना होगा।
9. शर्त के साथ कोई निविदा स्वीकार नही होगी।
10. मुख्य कार्यपालक अधिकारी को बिना कारण बताये किसी एक या सभी निविदाएं निरस्त करने का अधिकार होगा।

31-8-16

(आर0ए0 यादव)
अधिशासी अभियन्ता

(C-1)D:\p4\Technical\Nivida Suchana.doc